भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

रु.10

TEN RUPEES

Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

10AA 359306

1 DEC 200

पंजीयक

इन्दौर

27 दिसम्बर DEC 2007

हरीश कुमार शर्मा
स्टॉम्प वेण्डर
सब रजिस्ट्रार कार्यालय,
मोती तबेला, इन्दौर (म०प्र०)

No. 27293 रसीद दस्तावेज वगैरह 93

दफ्तर .... मुकाम ....

किस को दी गई	दस्तावेज की तफसीलवारी व कीमत या दस्तखत की तारीख या किस्म जो मुहरबन्द लिफाफा लिया गया हो जिसके बाबत फीस दाखिल हुई हो उसके ऊपर लिखी हुई इबारत	तादाद फीस (अगर हो तो) दाखल शुदा	रजिस्ट्री के ओहदेदार के छोटे दस्तखत
1	2	3	4
	सुरेश [illegible]	70/-	

तारीख 1 DEC 2007 उप-पंजीयक

3 1 DEC 2007

आम मुखत्यार पत्र

मै यह आम मुखत्यारपत्र निष्पादित कर देने वाली कमलकुमारी पति श्री कृष्णाकुमार चड्डा निवासी गोलवाड़ा हा.मु.इंदौर म.प्र. निम्नानुसार लिख देती हूं कि :-

मेरे मालकी व कब्जे का भूखण्ड क्रमांक 5(दो) आर.के.पुरम् कालोनी, इन्दौर यहां पर स्थित है। उक्त भूखण्ड मेरे स्व. पिता श्री सुगनचन्दजी पिता श्री नत्थूलालजी सरीन के व्दारा पंजीकृत विक्रय पत्र क्रमांक 1अ/ /दिनांक 12-7-72 के व्दारा खरीद किया हुआ है। उनके व्दारा अपनी जिवित अवस्था मे निष्पादित मृत्यु पत्र दिनांक 10-8-72 के व्दारा मुझ निष्पादक को उनकी सम्पत्ति के लिये अधिकृत उत्तराधिकारी घोषित किया है। उस अनुसार मै उनकी सम्पत्ति की एकमात्र स्वामीनी एवम् अधिपत्यधारी हूं। इस अनुसार सदर प्लाट की व्यवस्था करने का मुझे पूर्ण अधिकार है। इस प्लाट की लम्बाई 117 फीट व चौड़ाई 86 फीट होकर इसका योग क्षेत्रफल 10062 वर्गफीट है। जिसके निकास की व्यवस्था पूर्व मे स्थित सड़क से रहेगी।

मै निष्पादक सदर सम्पत्ति की समस्त व्यवस्था व देखरेख आदि की कार्यवाही कार्य की व्यस्तता के कारण करने मे असुविधा महसूस करती हूं, सबब उक्त सम्पत्ति के लिये श्री सुरेशसिंह पिता श्री नगेन्द्रसिंह निवासी 9, गुलमोहर (एक्स.) कालोनी, इंदौर को अधिकृत " आम मुखत्यार " नियुक्त कर अधिकार देती हूं कि :-

उप पंजीयक
इन्दौर

[illegible]

के द्वारा उप-जिला इन्दौर, जिला-इन्दौर
के उप-पंजीयक के कार्यालय में
तारीख........6 JUL 1998 198 को
प्र. पु./म. ५.................................बजे
प्रस्तुत किया गया है।

[illegible]

उप-पंजीयक, इन्दौर (म. प्र.)

Kamal Chela

[illegible]

विरोध का [illegible]

[illegible] और प्रतिफल [illegible]

[illegible] रु० ....

.... [illegible]

[illegible] रु० ....

[illegible]

(1) यह कि, सदर प्लाट पर भवन निर्माण हेतु मानचित्र, साईट प्लान, डिटेल प्लान, बिल्डिंग प्लान आदि तैयार करे तथा स्वीकृति हेतु नगर पालिक निगम, इंदौर व अन्य संबंधित कार्यालयों मे प्रस्तुत करे तथा स्वीकृत मानचित्र अनुसार भवन निर्माण की गतिविधि को मूर्तरूप प्रदान करे । मटेरियल क्रय करे, मजदूर, इंजीनियर, ठेकेदार आदि की नियुक्ति करे । नल-बिजली संयोजन प्राप्त करे, अग्रिम-टैक्सेस-शुल्क राशि जमा करावे तथा रिफण्ड प्राप्त करे ।

(2) यह कि, उक्त भूभाग अथवा उस पर निर्मित होने वाले भवन को स्वैच्छानुसार विक्रय रीति से अंतरित करे तथा प्रतिफल राशि प्राप्त करे, इकरारनामा लिखे, रसीद देवे, रसीद लेवे । विक्रय पत्र पंजीयन हेतु सभी वैधानिक अनुमति व इजाजत आदि प्राप्त करे । विक्रय पत्र पंजीयन हेतु दस्तावेज प्रारुपित करे तथा उस पर अपने हस्ताक्षर व अंगूष्ठ चिन्ह आदि अंकित कर दस्तावेज श्रीमान उप-पंजीयक महोदय, इंदौर के समक्ष प्रस्तुत करे तथा विक्रय पत्र पंजीयन की कार्यवाही को मूर्तरूप प्रदान करे । सदर सम्पत्ति का कब्जा क्रेता को देकर उसका नामांतरण संबंधित रेकार्ड्स व अभिलेख मे करावे ।

(3) यह कि, मेरे उक्त मुख्त्यार आम सदर सम्पत्ति के लिये समय व परिस्थिति तथा प्रचलित नियमानुसार व विधानानुसार सभी आवश्यक कार्य एवम् कार्यवाही का निष्पादन अपने हस्ताक्षर बयान उपस्थिति आदि से समस्त शासकीय-अशासकीय कार्यालयों, विभागों, निम्नस्थ से उच्चस्थ न्यायालयों, नगर पालिक निगम व अन्य संबंधित रेकार्ड्स व अभिलेख मे करे । सदर सम्पत्ति से उत्पन्न होने वाले वाद विवादों का निराकरण करावे तथा

—3—

उप पंजीयक
इन्दौर

ओमप्रकाश (पिता) ... 10 ...
राजेन्द्र कुमार ... कुमार
5-31-89

श्री ... पूर्वोक्त निष्पादक/अभिकर्ता की
सीमांकन के ... की गई आज
तारीख 198
6 JUL 1990
उप-पंजीयक, इन्दौर (म. प्र.)

नि. क्र.
87 Kamal Chadha

उपरोक्त निष्पादक / पालक / अभिकर्ता
.... की अंगूठी
का निशान मेरे समक्ष ता. ....
198 , को लिये गये।
6 JUL 1990
उप-पंजीयक, इन्दौर (म. प्र.)

साक्षी
1) Omprakash
2) R.K. Chawda

आवश्यक लेख विलेख का निष्पादन करें । सदर सम्पत्ति से उत्पन्न होने वाले मुकदमों में पैरवी करें तथा आवश्यक वकील बैरिस्टर, खास-आम मुख्त्यार नियुक्त करें। आवेदन,प्रार्थना, शपथ पत्र नोटिस, नोटिस का जवाब, दावा, जवाबदावा, अपील, सेकण्ड अपील रिट, रिवीजन, रिव्यु आदि निष्पादित कर प्रस्तुत करें । डिक्री वारंट जारी करावे तथा डिक्री की बजावरी करें । स्टे प्राप्त करें तथा स्टेवेकेट करावे तथा डिक्री वारंट की बजावरी करें ।

(4) यह कि, हमारे उक्त मुख्त्यार आम सदर सम्पत्ति बाबद सभी आवश्यक कार्य एवम् कार्यवाही हमारी ओर से, हमारेलिये, हमारे हित मे निष्पादित करें । इस मुख्त्यार के व्दारा की गई समस्त कानून सम्मत कार्य एवम् कार्यवाही हमे मान्य होकर बंधनकारक रहेगी ।

(5) यह कि, इस मुख्त्यार की नियुक्ति " प्रतिफल रहित " चरण प्रथम पृष्ट पर उल्लेखित सम्पत्ति के लिये ही की गई है । इस मुख्त्यार का हमारी अन्य सम्पत्ति से किसी भी प्रकार का एवं संबंध रहेगा नहीं ।

उपरोक्तानुसारयह आम मुख्त्यार पत्र मैंने अपनी राजी खुशी से, शरीर व मन मस्तिष्क की स्वस्थ हालत मे साक्षीगणों के समक्ष निष्पादित कर दिया सो सही । वक्त जरूरत काम आवें ।

इति इन्दौर दिनांक : 9.6.20

सही - निष्पादक
Kamal Chadha

साक्षीगण :-

मेरे व्दारा प्रारुपित किया गया ।
एडव्होकेट

(1) (O.P. Shrivastava)
10, Patankar Colony, Indore.

(2) R.K. Chadha
Rajendra Kumar Chadha
E-35 HIG Colony Indore

उप पंजीयक
इन्दौर

आज तारीख 6 JUL 1990 माह
198 को पुस्तक क्रमांक
में 486 के 374 पृष्ठ
41/47 क्रमांक
पंजीयन किया गया। 379 H.
उप-पंजीयक, इन्दौर (म. प्र.)

पंजीयन शुल्क रु. 15 पैसे
दस्ती शुल्क रु. पैसे
पृष्ठांकन शुल्क रु. 5 पैसे
तुलना शुल्क रु. पैसे
योग रु. 20

उप-पंजीयक, इन्दौर

आवेदन प्राप्त होने का दिनांक 31 DEC 2007
प्रतिलिपि शुल्क का दिनांक
दिनांक 31 DEC 2007
31 DEC 2007
31 DEC 2007
उप-पंजीयक, इन्दौर

प्रमाणित प्रतिलिपि
दिनांक उप पंजीयक
31 DEC 2007 इन्दौर

31 DEC 2007

1000 Rs.

INDIA NON JUDICIAL

१०००रु. Rs 1000

भारत

एक हज़ार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

(९२-५०) — स्टांपड्यूटी
(५९०-००) — निगमड्यूटी
१०२-५०

श्री

उपरोक्त लेख की नकल पेश की
वह रजु की गई

विक्रीलेख आर. के. पुरम कॉलोनी के प्लाट नं.१ (दो) का

कीमत रुपये २५१५५-०० पचीस हजार एक सौ पचपन.

नगर निगम
डि. प्र. डि. इन्दौर

आज दिनांक को श्रीमती रामदितदेवी धर्मपत्नि राय साहेब लाला राधाकिशनजी कपूर साकिन सी ९६ डिफेन्स कॉलोनी न्यू देहली की तरफ से आम मुखत्यार लाला बालकिशनजी वल्द राय साहेब राधाकिशनजी कपूर साकिन १२ अंसारी रोड दरियागन्ज देहली जिन्हे संक्षिप्तता के कारण इस लेख मे विक्रेता कहा जावेगा जिसमे उनके वारिस प्रबंधकर्ता और अन्तरंग शामिल माने जायेंगे प्रथम पक्ष और श्री. शुगनचन्दजी सरीन वल्द श्री नत्थूलालजी सरीन २ नवरत्न बाग इन्दौर म.प्र. और जिन्हे संक्षिप्तता के कारण इस लेख मे क्रेता कहा जावेगा इन दोनो पक्षों के मध्य निम्न शर्तो पर यह विक्रीलेख निष्पादित किया गया है.

उपरोक्त लेख की नकल पेश की
वह रजु की गई

चूं कि विक्रेता ब्लाक नं. ६ (छः) पुराना व नया नं. २० (बीस) जो बांबे आगरा रोड पर इन्दौर मे स्थित है का एक मात्र मालिक व स्वत्वाधिकारी है तथा यह ब्लाक एक कॉलोनी के रूप में परिवर्तित हो गया है जिसका नाम आर. के. पुरम कॉलोनी है. तथा इस ब्लाक नं. २० को विक्रेता ने रजिस्टर नोन्द नं. ७-२५९-१९४१ के व्दारा क्रय किया था.इस पर किसी का किसी प्रकार का बोझा नही है.

उपरोक्त लेख की नकल पेश की
वह रजु की गई

चूं कि विक्रेता ने नगर पालिक निगम इन्दौर मे इस प्लाट नं.२० के विकास हेतु प्लाट डिव्हीजन का नक्शा पेश करके स्वीकृति प्राप्त करली है. स्वीकृति का आदेश क्रमांक १४९ दि. २७-१-१९७१ है.

2002
10-7-72

लिखी।

श्रीमती मायादेवी देवी पति रामसाहब लाला राधाकिशन जी कपूर देहली तर्फे आम मुख्तार लाला बालकिशन जी पिता रायसाहब लाला राधाकिशन जी कपूर हा।

रा.जी. मोहन

[signature]

उप-पंजीयक, इन्दौर

... अधिनियम के अन्तर्गत मुद्रांक शुल्क ... ८९२-५०
नगर निगम अधिनियम के अन्तर्गत मुद्रांक शुल्क ... ५१०-००
पंचायत अधिनियम के अन्तर्गत मुद्रांक शुल्क ...
अतिरिक्त मुद्रांक शुल्क ...
योग १४०२-५०

बालकिशन व. राधाकिशन कपूर मु. इन्दौर तर्फे से मुं. रामदित्ती बाई के

के द्वारा उप-जिला इन्दौर
जिला इन्दौर के उप-पंजीयक के
कार्यालय में तारीख ... १९५
... बजे ११-३० ... प्रस्तुत किया गया।
२ जुलाई

Balkishan Kapoor
attorney for Mss. Ram Ditti Kapoor [signature]

बालकिशन व. राधाकिशन कपूर मु. इन्दौर तर्फे से मु. रामदित्ती बाई के मा. देहली हाल इं. या.

... स्वीकार करते हैं कि यथाकथित ... का निष्पादन
बैनामा
किया गया ... अधिकल ...
पूर्वकालिक ... १०,०००) दस हजार रूपये
तथा १५९५५) पन्द्रह हजार नौ सौ पचपन रुपये
... [illegible] ...
द्वारा कृष्ण कुमार व. प्रकाशचंद

Balkishan Kapoor
attorney for Mss. Ram Ditti Kapoor

[signature]
१२।७।७२

... अंगूठा चिन्ह से ...
बालकिशन ... समक्ष ...
... को दिया गया

[signature]

उप-पंजीयक

200 Rs.

INDIA NON JUDICIAL

२००रु. Rs 200

भारत

दो सौ रुपया TWO HUNDRED RUPEES

चूं कि विक्रेता के एक लेख दिनांक २१-८-१९७१ की सहायक पंजीकृत कोर्ट न्यू देहली (र.नी. नं. १६२१ बुक नं. १ ग्रन्थ नं. २८८ पेज नं.१४४, १४५) के कार्यालय मे पंजीकृत हो चुका है इसके व्दारा लाला बालकिशन आत्मज राय साहेब लाला राधाकिशनजी कपूर को प्लाट नं.२० मे डिव्हीजन प्लाटो का कब्जा देने, मूल्य की रकम प्राप्ती की रसीद देने, प्लाटों का विक्रय लेखों को संपादित करने व विक्रय लेखों को पंजीकृत हेतु प्रस्तुत करने तथा विक्रय संबंधी सभी आवश्यक औपचारिकताओं की पूर्ति हेतु अपना आम मुखत्यार नियुक्त कर उन्हे अधिकारों से संबध्द किया है. यह लेख आज भी प्रभावशील है.

विक्रेता नीचे लिखे वर्णन व चतुःसीमा के अपने प्लाट नं. २ को क्रेता श्री शुगनचन्दजी वल्द श्री नत्थूलालजी सरीन २ नवरत्न बाग इन्दौर म.प्र. को विक्रय करना तथा अन्तमरत करना स्वीकार किया है तथा विक्रय मूल्य रुपये २५१५५-०० पच्चीस हजार एक सौ पचपन समन्त बोझिन रहित स्वीकार करना तय किया है.

प्लाट नं. २ (दो)का वर्णन.

लंबाई ११७ फुट

चौडाई ८६ फुट

कुल क्षेत्रफल १००६२ वर्ग फुट.

चतुःसीमा

उत्तर मे - प्लाट नं.१

बिक्री

2003
10-7-72 ~~श्रीमति रामप्यारीदेवी पति रायसाहेब लाला राधाकिशन
जी कपूर देहली तर्फे आम मुख्त्यार लाला बालकिशनजी
पिता राय साहेब राधाकिशन जी कपूर द्वा ए. जी. आवर्स~~

[signature]

सब-ट्रेजरी उप-कोषालय, इन्दौर.

200 Rs.

INDIA NON JUDICIAL

२००रु.   Rs 200

भारत

दो सौ रुपया   TWO HUNDRED RUPEES

दक्षिण मे - प्लाट नं. १

पूर्व मे - सरकारी सडक बांबे आगरा रोड.

पश्चिम मे - प्लाट ६ व ७

इस विक्री लेख के विक्रय रुपये २५१५५-०० पच्चीस हजार एक सौ पचपन पैटे निम्न लिखित दिनांको को विक्रेता को क्रेता से मार्फत मुन्शीलाल गुप्ता के प्राप्त हुए है.

रुपये १०,०००-०० दस हजार रुपये का चेक नं. ५ बी ७६९५२१ बडौदा बैंक का ७१ दि. ४-२-७२

रु. १०,०००-०० प्राप्त रुपयों का योग दस हजार .

आज दिनांक को बकाया रुपये १५१५५-०० नगदी पन्द्रह हजार एक सौ पचपन श्रीमान पंजीयक महोदय इन्दौर के समक्ष रजिस्ट्री के वक्त विक्रेता ने क्रेता से कुल्ले वसूल पालिये है. अब क्रेता से विक्रेता को कुछ भी लेना शेष रहा नही.

विक्रीशुदा प्लाट नं.१ (दो) के समस्त अधिकार जो विक्रेता को थे वही सब हक्क, अधिकार क्रेता को प्राप्त हो गये है.

क्रेता को विक्रेता ने सदर विक्रीशुदा प्लाट का कब्जा ऊपर लिखे वर्णनानुसार दे दिया है.

सदर विक्रीशुदा प्लाट पर मालकी बाबत किसी का किसी प्रकार

2004

10-7-72 श्रीमति बालदेवी ~~बाई~~ देवी पति रायसाहेब माधोकिशनजी कपूर देहली तर्फे आम मुख्त्यार लाला बालकिशनजी पिता राय साहेब माधोकिशनजी कपूर हा. प्र.जी. आये

[signature]

उप-रजिस्ट्रार [illegible], इन्दौर.

2R$50nP

INDIA

दो रुपये पचास नये पैसे

दो रुपये पचास नये पैसे

TWO RUPEES भारत FIFTY NAYE PAISE

का उजर या दावा झगडा हुवा तो उसका मुकाबला अपने खर्चसे विक्रेता करेंगे इसकी जबाबदारी विक्रेता की व उनके वारिसो की रहेगी. क्रेता को किसी प्रकार व्यय करना नही पडेगा.

क्रेता ने सदर के प्लाट की खुली जमीन रहवासू मकान बनाने वास्ते विक्रेता से खरीद कीया है और क्रेता को नगर पालिका निगम इन्दौर के नियम उपनियम जो आज प्रचलित है उनका व आगे जो नियम उपनियम होंगे उन सब का पालन करना जरुरी होगा.

आज तक के टेक्सेस के देनदार विक्रेता होंगे और आगे से क्रेता को देने होंगे.

प्लाट नंबर १० मे नक्शे की मंजूरी मुताबिक सडके बनादी है व अन्डर ग्राउनन्ड सिवियर लाईन व पानी की पाइप लाईन डालदी गई है. याने डेव्हलपिंग का काम पूरा हो चुका है.

नगर पालिका निगम, संपत्ति कर विभाग व पब्लिक हैल्थ विभाग आदि शासकीय विभागों के नियमों का पालन हमने किया है आगे से क्रेता को पालन करना आवश्यक है.

नामान्तरण मे जो भी व्यय करना पडे वह क्रेता करेंगे विक्रेता पर उसका कोई भार नही रहेगा. हमारे याने विक्रेता के सहयोग की जब जब जरुरत होगी देंगे. नगर पालिक निगम व संपत्ति कर विभाग आदि मे सदर प्लाट नं. १ (दो) पर नाम ट्रान्सफर क्रेता ने करा लेना उसमे नाम ट्रान्सफर के नियमों का क्रेता ने पालन करना होगा. सदर के प्लाट नंबर १ (दो) के विक्रय के पूरे रूपये क्रेता से चुकती पाकर विक्रेता ने प्लाट

१५३५
१०-५-५२

[illegible]

जी. बी. आठले, स्टाम्पवेन्डर
४८६, एम. जी. रोड, इन्दौर

नंबर १ (दो) केा विक्रय कर उसका कब्जा भी दे दिया है, जिसका उपयोग क्रेता वंशपरंपरा लेते रहेंगे.

यह विक्रीखत हमने हमारी राजी खुशी से लिख दिया सो सही है ताकि वक्त जरुरत काम आवे. फक्त दिनांक. १२/०९/१९५२

द.ख. सिद्धनाथ त्रिंबक मुळे

गवाह

१ Gurcharan Lal

२ [signature]

सही विक्रीदार की

Balkishen Kapoor
attorney for Mrs. Ram Ditti Kapoor

(श्रीमती रामदित्तीदेवी)
तर्फे मुखत्यार
लाला बालकिशन कपूर.

१ द. ले. का नाम: सिद्धनाथ त्रिंबक मुळे
२ लायसन्स क्रमांक 2
३ दस्तावेज लेखक के व्यवसाय का स्थान :- सब रजिस्ट्रार कार्यालय इन्दौर जि. इन्दौर
४ नियोजन का नाम ....
५ पंजी में क्रमांक .... तारीख ..12.. 52
६ ली गई फीस रु. .... पैसे ....

सि. त्रि. मुळे
दस्तावेज लेखक का हस्ताक्षर

१२ जुलाई

पुस्तक क्रमांक 1

2466

18-9

किया गया।

जिला इन्दौर के पंजीयक की मुद्रा

THE SEAL OF THE REGISTRAR OF DISTT. INDORE

शुल्क रु... 1231

शुल्क रु... 121

शुल्क रु...

1252